आलेख्य-2

संख्या:579 /24-पी-3-2023-2828/2022

प्रेषक,

महेश कुमार गुप्ता,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0,
शक्ति भवन, लखनऊ।

कार्यवाहक निदेशक,
विद्युत सुरक्षा,
गोमती नगर, लखनऊ।

ऊर्जा अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक 24 मार्च, 2023

विषय: उ0प्र0 वस्त्र एवं गारमेन्टिंग पालिसी-2022 के पैरा-4.6(c) एवं 6(a) के अनुसार एक निर्दिष्ट सीमा (Thershold Limit) से अधिक विद्युत की खपत करने वाले पार्कों/इकाइयों को विद्युत अधिनियम, 2003 के अनुसार खुली पहुँच (open access) की अनुमति प्रदान किये जाने एवं बिजली की खुली पहुँच- एसपीवी/ मास्टर डेवलपर को बिजली की खुली पहुँच के लिए विद्युत रेग्यूलेशन एक्ट के अनुरूप अनुमति दिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

अवगत कराना है कि उ0प्र0 वस्त्र एवं गारमेन्टिंग पालिसी-2022 के पैरा-4.6(सी) एवं 6(ए) में निम्नवत् उपबंध किया गया है:-

4.6 (c) विद्युत विभाग के नियमों के अनुरूप एक निर्दिष्ट सीमा (Thershold Limit) से अधिक विद्युत की खपत करने वाले पार्कों/इकाइयों को विद्युत अधिनियम, 2003 के अनुसार खुली पहुँच (open access) की अनुमति होगी।

6 (a) बिजली की खुली पहुँच- एसपीवी/ मास्टर डेवलपर को बिजली की खुली पहुँच के लिए विद्युत रेग्यूलेषन एक्ट के अनुरूप अनुमति दी जाएगी।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि ओपन एक्सेस रेगुलेशन 2019 के अनुसार एक मेगावाट से अधिक अनुबन्धित विद्युत भार वाले उपभोक्ताओं को ओपेन एक्सेस के माध्यम से विद्युत क्रय कियॆ जाना प्राविधानित है। कृपया उक्त प्राविधानों के आलोक में अग्रेत्तर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(महेश कुमार गुप्ता)
अपर मुख्य सचिव।

[redacted] [redacted]

संख्या /24-पी-3-2023 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित् :-

(1) महालेखाकार, उ०प्र०, इलाहाबाद ।

(2) अपर मुख्य सचिव, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग विभाग उ0प्र0 शासन।

(2) सचिव, विद्युत नियामक आयोग, उ०प्र० लखनऊ।

(3) अध्यक्ष / प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन,लखनऊ ।

(4) प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन, लखनऊ / उ०प्र० जल विद्युत निगम लि0, शक्ति भवन, लखनऊ/मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि0 लखनऊ /पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि0, वाराणसी/पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0, मेरठ /दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि0, आगरा एवं कानपुर विद्युत सप्लाई कम्पनी लि० (केस्को). कानपुर।

(5) कार्यवाहक निदेशक, विद्युत सुरक्षा, उ०प्र०, गोमतीनगर, लखनऊ ।

(6) हथकरघा वस्त्रोद्योग अनुभाग ।

(7) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सर्वेश कुमार सिंह)

संयुक्त सचिव।